संख्या-140 /2021/ई-1833745/71-3-2021-

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक : 24 नवम्बर, 2021**

विषयः -केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत निर्माणाधीन 08 मेडिकल कालेजों में विद्युत संयोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याएम-0ई0/बजट/2021-22/484 दिनांक 10.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथादेवरिया-, मीरजापुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ एवं हरदोई में विद्युत संयोजन एवं शिफ्टिंग कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-125/2021/ई-1532451/71-3-2021 दिनांक 21.09.2021 द्वारा 05 मेडिकल कालेजों -तथा शासनादेश संख्या (हरदोई/प्रतापगढ़/गाजीपुर/मीरजापुर/मेडिकल कालेज देवरिया) 124/2021/ई-1622529/71-3-2021, दिनांक 21.09.2021 द्वारा 03 मेडिकल कालेजों मेडिकल कालेज) में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। (फतेहपुर/एटा/सिद्धार्थनगर

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 06 मेडिकल कालेजों में विद्युत संयोजन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को संशोधित करते हुए अवशेष धनराशि निम्नानुसार (कालम-6 के अनुसार) अवमुक्त की जाती हैः-

क्र0 सं0	मे0का0 का नाम	प्रायोजना की मूल लागत	शासनादेश दिनांक 21.09.द्वारा 2021 धनराशिअवमुक्त (करोड़ में 0रू)	वांछित पुनरीक्षित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली संशोधित धनराशि (में 0रू)	अतिरिक्त रूप से पूर्व में अवमुक्त धनराशि 0रू) (में
1	2	3	4	5	6	7
1	देवरिया	207.9132	6.6661	6,14,51,086.00	--	52,09,914.00
2	मीरजापुर	232.9728	6.57	6,55,81,535.00	--	1,18,465.00
3	गाजीपुर	202.4336	5.59	07,20,62,958.00	1,61,62,958.00	--
4	सिद्धार्थनगर	226.0442	1.0457	1,24,04,697.00	19,47,697.00	--
5	प्रतापगढ़	213.0075	6.6059	7,89,13,000.00	1,28,54,000.00	--
6	हरदोई	206.332	7.1862	5,76,22,225.00	1,42,39,775.00	--
		योग-	**33.6639**	**34,80,35,501.00**	**4,52,04,430.00**	53,28,379.00

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 21.09.2021 द्वारा मेडिकल कालेज, देवरिया एवं मीरजापुर में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त् धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से अवमुक्त धनराशि (कालम-7 के अनुसार) को वापस किये जाने के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

5- बाह्य विद्युत संयोजन विषयक शासनादेश दिनांक 21.09.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के लेखाशीर्षक "4210-03-105-01-0106-मेडिकल कालेज, देवरिया, 0103-मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़, 0108-मेडिकल कालेज, मीरजापुर, 0107-मेडिकल कालेज, गाजीपुर, 0102-मेडिकल कालेज, हरदोई, 0105-मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर" के 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या:-140/2021/ ई-1833745(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, प्रतापगढ़, मीरजापुर, गाजीपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, प्रतापगढ़, मीरजापुर, गाजीपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।